न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–39 / 2018 (223 आर.टी.ए.)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2018 / 00036

उनवान

1. चिरंजी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सवाई माधोपुर।
2. विहारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
3. प्रभूलाल पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
4. मुरारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।
3. श्री विष्णु सोमानी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03।
4. पैरोकार सरकार उपस्थित।

अपील संख्याः–59 / 2018 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2018 / 00035

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सवाई माधोपुर।
2. विहारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
3. चिरंजी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड जिला सवाई माधोपुर।
4. मुरारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री विष्णु सोमानी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—17.07.2023

1. यह अपीले मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 08/2015 बउनवान बिहारी बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील संख्या 39/2018 तथा 59/2018 पेश की गई है। चुंकि दोनो अपीले एक ही आलौच्य आदेश के विरूद्व की गई है और सारभूत रूप से विवाद की विषयवस्तु एक समान ही है। अतः उक्त दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर मे बाबत् कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज करवाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जुवाड तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 635 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, ,खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 643 रकबा 0.55 है0 कुल किता 5 रकबा 1.43 है0 पर प्रार्थी का अपने पिता के जीवनकाल के समय से भौतिक कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है। मुताबिक कब्जा दुरूस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। तत्पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 15.03.18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण को धारा 136 के साथ धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संशोधित किया जाकर मुताबिक कब्जा विभाजन किया जावें। उक्त वाद पत्र मे मातहत अदालत ने दिनांक 26.03.2018 को निर्णय व डिक्री जारी करते हुए आदेश पारित किया कि " वाके ग्राम जुवाड के हाल खता संख्या 90,92,94 में अंकित खसरा नंबर 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 643 रकबा 0.55 है0, कुल किता 5 रकबा 1.43 है0 का विभाजन किया जाकर उपरोक्त खसरा नंबरो में से प्रतिवादी प्रभूलाल, मुरारी, चिरंजीलाल पुत्र किशना नाई का नाम खारिज किया जाता है तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खसरा नंबरान के खातेदार वादी बिहारी पुत्र किशना जाति नाई निवासी जुवाड को घोषित किया जाता है, तथा तद्नुसार हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0 की खातेदारी प्रतिवादी प्रभूलाल के नाम से किया जाता है एवं खसरा नंबर 634 मे से चिरंजीलाल,मुरारी,बिहारी पिता किशना के नाम का इन्द्राज अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।" उक्त आदेश से व्यथित होकर यह दोनो अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. दोनो अपील की विषय वस्तु व अनुतोष समान है। अपील मीमों अपील संख्या 39/2018 व अपील संख्या 59/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16.03.18 को जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 136 एल.आर. एक्ट को 53 आर.टी. एक्ट के तहत परिवर्तित किया है वह विधि विरूद्व पूर्णतया कानूनी जानकारी के बिना स्वीकार किया हैं। जबकि एक बार यदि न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वाद पत्र में परिवर्तित कर दिया है तो माननीय तहत न्यायालय को जवाब दावा रिकार्ड पर लेना चाहिये तथा जवाब आने के उपरान्त दावा व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्षों की साक्ष्य लेकर वाद पत्र को निस्तारित करना चाहिए लेकिन तहत न्यायालय ने मनमर्जी से प्रार्थी वादी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त संपूर्ण कार्यवाही की गई है। साथ ही यह भी गौर करने लायक है कि माननीय तहत न्यायालय के निर्णय के अनुसार बंटवारा किया है और बंटवारे की डिक्री में प्रथमतय प्रारम्भिक डिक्री बनायी जाती है तत्पश्चात् माननीय तहसीलदार महोदय से बंटवारा स्कीम मंगायी जाती है फिर पक्षकारों को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की जाती है लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही संपादित नही की गयी है। इस कारण मातहत अदालत का निर्णय अपारत योग्य है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. दोनो अपील की मुख्य बहस मे लिखित बहस प्रस्तुत कर अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन अंकित किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खाता संख्या 90, 92, 94 में अंकित खसरा नंबर 635, 637, 641, 642, 643 कुल किता 5 कुल रकबा 1.43 है0 का विभाजन करने का आदेश पारित किया है तथा बिहारी पुत्र किसना को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, साथ ही प्रभूलाल, मुरारी, चिरंजीलाल पिसरान किशना नाई का नाम हजफ करने का आदेश भी पारित किया गया है। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पत्र मे अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत परिवर्तित किया है, घोषणा का रिलिफ व इन्द्राज दुरूस्ती का रिलिफ माननीय तहत न्यायालय ने बिहारी को बिना चाहे लाभ पहुचाने के उद्देश्य से बिना कोर्ट फीस, बिना न्यायिक प्रकिया का पालन किये प्रदान किया है। जो कतई न्यायोचित नही है। आगे कथन किया कि किशनलाल के 04 पुत्र बिहारी, चिरंजी, प्रभू व मुरारी है, जबकि किशनलाल के नाम 08 बीघा भूमि ही थी तथा स्वयं अपीलांट के नाम 08 बीघा 09 बिस्वा भूमि अलोट हुई है कुल 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बंटवारा प्रदान किया गया है जबकि विधि अनुसार बंटवारा सिर्फ पिता की जमीन में संभव है भाई की जमीन में संभव नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिकी दिनांक 26.03.2018 को अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेसपोडेन्ट संख्या 02 ने कथन किया कि रेसपोडेन्ट्स के मौके पर सभी पक्षकारान बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज है किसी का रकबा कम या ज्यादा नही है। तहत न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए सही बंटवारा करने के आदेश पारित किये है जो विधि अनुकूल है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2042–2045 वाके ग्राम जुवाड पटवार क्षेत्र जुवाड तहसील सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 250/662 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 207/1 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 528 रकबा 15 बिस्वा चिरंजीलाल पुत्र किशना जाति नाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे संलग्न मिलान क्षेत्रफल संवत् 2057–2077 वाके ग्राम जुवांड तहसील व जिला सवाई माधोपुर के अनुसार साबिक खसरा नंबर 250/662 के हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबर 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 बने है।

मातहत अदालत द्वारा **मिसल नंबर 1583 निर्णय 01.03.86** बउनवान प्रभु बनाम चिरंजी मे चिरंजी पुत्र किसना द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति साबिक खसरा नंबर 250/662 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा को भी पैतृक संपति के साथ ही चिरंजी पुत्र किसना के अन्य भाईयों मे विभाजित कर दी, मातहत अदालत को इसका कोई अधिकार नही था, क्योंकि स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति को केवल निम्न उल्लेखित बिंदुओ के द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है:–

(1) वसीयतनामा द्वारा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(2) उत्तराधिकार अधिकारों द्वारा।
(3) दानपत्र द्वारा।
(4) विकयपत्र द्वारा।
(5) उपहार/गिफ्ट द्वारा।

अपीलांट द्वारा उक्त किसी भी तरीके से अपने हिस्से की आराजीयात को हस्तान्तरित नही किया गया है। उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा अपीलांट के द्वारा अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ ही अपीलांट के पिता किसना के अन्य पुत्रों के हिस्से मे दर्ज करने के आदेश विधि विपरीत है। पत्रावली के अवलोकन से ये भी प्रकट हुआ कि मूल विवाद अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के वाद संख्या 1583 निर्णय दिनांक 01.03.1983 बउनवान प्रभु बनाम चिंरजी के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम इसकी विवेचना की जा रही है। अपीलांट चिरंजी पुत्र किसना को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय मे खातेदारी विभाजन न होकर पत्रावली खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने के साथ विभाजन किया गया है, जो न्यायिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। इस कारण अदालत मातहत का निर्णय व डिकी अपास्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत का आलौच्य निर्णय व डिकी दिनांक 26.03.18 **मुकदमा नंबर 08/2015** बउनवान बिहारी बनाम सरकार वगैरह मे विवादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 250/662 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 से वादग्रस्त है। जैसा कि पूर्व मे विवेचन किया जा चुका है कि उपर्युक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 मे तन्हा खातेदारी अधिकार अपीलांट **चिरंजी पुत्र किसना के सन्निहित है**, इस कारण अदालत मातहत के निर्णय व डिकी दिनांक 26.03.2018 को खसरा नंबर नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 की **सीमा तक** अपास्त किया जाता है।

साबिक खसरा नंबर 250/662 के हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 के संबंध मे मातहत अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा पारित आदेश की पालना मे राजस्व रिकॉर्ड मे किए गए अंकन को कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। अदालत मातहत को पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि शेष खसरा नंबरो पर उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित हो। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

10 पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
17.07.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिकी अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. चिरंजी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सवाई माधोपुर।
2. बिहारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
3. प्रभूलाल पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
4. मुरारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :39/2018
जी.सी.एम.एस संख्या :2018/00036

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 17.07.2023

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सवाई माधोपुर।
2. बिहारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।
3. चिरंजी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड जिला सवाई माधोपुर।
4. मुरारी पुत्र किसना जाति नाई निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर।

अपील संख्या :59/2018
जी.सी.एम.एस संख्या :2018/00035

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 17.07.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी बौंली

यह अपील संख्या 39/2018 व तारीख 17.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री विष्णु सोमानी व श्री पैरोकार सरकार एड मिनजानिब रेस्पो. तथा अपील संख्या 59/2018 व तारीख 17.07.2013 रूबरू हमारे व हाजरी श्री विष्णु सोमानी अधिवक्ता अपीलांट व श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समाप्त के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अदालत मातहत का आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.18 मुकदमा नंबर 08/2015 बउनवान बिहारी बनाम सरकार वगैरह मे विवादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 250/662 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 से वादग्रस्त है। जैसा कि पूर्व मे विवेचन किया जा चुका है कि उपर्युक्तानुसार वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 मे तन्हा खातेदारी अधिकार अपीलांट **चिरंजी पुत्र किसना के सन्निहित है**, इस कारण अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2018 को खसरा नंबर नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 की **सीमा तक अपास्त** किया जाता है।

साबिक खसरा नंबर 250/662 के हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबरी 635 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 637 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 641 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.20 है0 के संबंध मे मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश की पालना मे राजस्व रिकॉर्ड मे किए गए अंकन को कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। अदालत मातहत को पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि शेष खसरा नंबरो पर उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित हो।

मुहर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner